

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 13.10.09

सं०-2/टी०-50/2009-1361(2)/स्वा०, राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों का स्तंभ 3 में अंकित जिलो से स्थानान्तरित करते हुए स्तंभ 4 के जिलो में तात्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन जिला	नव पदस्थापन का जिला
1	2	3	4
1	डा० अशोक कुमार सिंह,	खगड़िया	बाँका
2	डा० निर्मला कुमारी सिंह	गया	रोहतास
3	डा० अमर नाथ झा	समस्तीपुर	दरभंगा
4	डा० धनयज कुमार सिन्हा	गोपालगंज	सारण
5	डा० लक्ष्मण प्रसाद	सारण	पटना
6	डा० रीता उपाध्याय	शेखपुरा	जमुई
7	डा० अशोक कुमार श्रीवास्तव	रोहतास	बक्सर
8	डा० राजेश कुमार गामी	सहरसा	समस्तीपुर
9	डा० चन्द्र देव सिंह	सारण	नालन्दा
10	डा० दिनेश कुमार सिंह	सीतामढ़ी	पू० चम्पारण
11	डा० विमल कुमार	भागलपुर	जमुई
12	डा० बिनोद कुमार सिन्हा	बेगूसराय	लखीसराय
13	डा० मधेश्वर प्रसाद शर्मा	नवादा	अरवल
14	डा० बलदेव प्रसाद गुप्ता	प० चम्पारण ।	रोहतास
15	डा० अशोक कुमार सिंह	पू० चम्पारण	सारण
16	डा० सरोज कुमार सिंह	पू० चम्पारण	औरंगाबाद
17	डा० राजकिशोर राय	मुजफ्फरपुर	सारण
18	डा० उमा शंकर लाल	सारण	गया
19	डा० अशोक कुमार	सिवान	गोपालगंज
20	डा० रामानन्द प्रसाद यादव	सारण	सीवान
21	डा० अवधेश कुमार दास	रोहतास	कैमूर
22	डा० मिथिलेश कुमार सिंह	रोहतास	औरंगाबाद
23	डा० बिमल कुमार चौधरी	वैशाली	जहानाबाद
24	डा० अमरेन्द्र किशोर चौधरी	बेगूसराय	शिवहर
25	डा० राजीव कुमार वर्मा	सारण	वैशाली

26	डा0 वीणा कुमारी सिन्हा	मुजफ्फरपुर	वैशाली
27	डा0 विपिन कुमार	नवादा	गया
28	डा0 रविन्द्र कुमार सिंह	दरभंगा	मधुबनी
29	डा0 सतीश कुमार	कटिहार	खगड़िया
30	डा0 उदय कुमार	गया	वैशाली
31	डा0 धर्मनाथ प्रसाद सिंह	अररिया	सीवान
32	डा0 द्वारिका प्रसाद	रोहतास	नालन्दा
33	डा0 आबिद हुसैन	लखीसराय	जमुई
34	डा0 अजीत रंजन प्रसाद	गया	नालन्दा
35	डा0 श्रीमती विनीता सिंह	नवादा	वैशाली
36	डा0 अनीता कुमारी	समस्तीपुर	मुजफ्फरपुर

2. संबंधित सिविल सर्जन/ नियंत्रि पदाधिकारी 15 दिनों के भीतर स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को पदस्थापित स्थान के लिए निश्चित रूप से विरमित कर देंगे और नवपदस्थापित जिले के सिविल सर्जन, विरमित हो कर योगदान देने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन जिले के अन्तर्गत रिक्त पद के विरुद्ध 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से देंगे ।
3. इनका स्थानान्तरण इनके अभ्यावेदन के आधार पर हुआ है अतः इन्हें यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
3. निलम्बन/ न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति में यह आदेश उनपर लागू नहीं होगा ।
4. इस अधिसूचना में अंकित किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी के पदस्थापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना अवक्रमित समझी जायेगी ।
5. यदि किसी चि0पदा0 का गृह जिले में पदस्थापन हो गया हो तो वह प्रभावी नहीं होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 प्रमोद कुमार)  
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी50/2009-

136/12)

पटना, दिनांक 13-10-09

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ उप महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री/ माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के सचिव, स्वास्थ्य / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ उप सचिव, स्वास्थ्य/ प्रशाखा पदाधिकारी, 2,3,7,9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव